

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र.क. 1615-तीन/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.04.2014 पारित
-द्वारा- अपर कलेक्टर जिला छतरपुर -प्र0क0 537/07-08 अ-19 निगरानी

बद्री पुत्र जगदत्त निवासी ग्राम मुडैरी [†]दक्षिणी

तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर

—आवेदक

विरुद्ध

चन्दनसिंह पुत्र किशोरीलाल राजपूत

ग्राम श्याम का खेड़ा तहसील लवकुशनगर

जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

—अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी


अनावेदक के विरुद्ध पूर्व से एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 4.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्र.क. 537/अ-19/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दि. 30-4-14 के विरुद्ध म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।


2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त वछोन तहसील लौड़ी जिला छतरपुर को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा मुडैरी दक्षिणी की शासकीय भूमि स. क. 678, 679, 677/1/1, 705/1 रकबा कमशः 0.121, 0.251, 0.251, 0.251 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक से लगी हुई है इस भूमि पर उसके पूर्वजों के जमाने से कब्जा होकर खेती होती आई है पिछले 30 वर्ष से वह इस भूमि पर खेती कर रहा है इसलिये व्यवस्थापन



किया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त बछोन तहसील लोड़ी ने प्रकरण कमांक 28/अ-19/95-96 पंजीबद्ध किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 14.9.96 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में कर दिया। नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 14-9-06 के विरुद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष दिनांक 22-3-2004 को निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर छतरपुर ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-4-14 पारित किया तथा नायव तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.9.96 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं।


4/ आवेदक के अभिभाषक ने आपत्ति की कि अपर कलेक्टर न्यायालय में अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर एवं निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क सुने गये थे, किन्तु अपर कलेक्टर ने बचाव का समुचित अवसर दिये बिना अंतिम आदेश पारित करने में भूल की है। आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के क्रम में अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 537/अ-19/2007-08 निगरानी का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर न्यायालय में निगरानी 22-3-04 को प्रस्तुत होने पर प्रथम आर्डरशीट लिखकर ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु प्रकरण लगाया गया एवं पेशी 6-4-04 नियत की गई। आगामी पेशी 6-4-04 को आवेदक (अब अनावेदक) के ग्राह्यता पर तर्क श्रवण कर प्रकरण आदेश हेतु 23-4-04 को नियत किया गया, किंतु दिनांक 23-4-04 को ग्राह्यता पर आदेश पारित न करते हुये अनुविभागीय अधिकारी से कंडिकावार परीक्षण टीप के लिये पेशी 24-5-04 नियत की गई। तदुपरांत दिनांक 24-5-04 से 14-6-07 की अवधि के बीच 34 तारीख पेशियाँ लगाई, इन



पेशियों में ग्राह्यता पर आदेश पारित नहीं किया तथा 14-6-07 को प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त किया गया एवं 20-6-07 को पुर्नस्थापित कर लिया गया। पेशी 20-6-07 से 13-3-14 की अवधि के बीच 65 पेशियाँ लगीं, ग्राह्यता पर सुनवाई उपरांत आदेश पारित नहीं किया गया। इसी प्रकार निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर न तो विचार किया गया और न ही सुनवाई गई, तथापि पेशी 26-4-14 को "आवेदक एवं अनावेदक के तर्क सुने" लिखकर किस प्रकार के आदेश हेतु प्रकरण सुरक्षित रखा गया - आर्डरशीट में स्पष्ट नहीं है तथा आदेश की तिथि भी नहीं लगाई गई एवं दिनांक 30-4-14 को अंतिम आदेश पारित करके आवेदक के हित में वर्ष 1996 में किया गया व्यवस्थापन 18 वर्ष के अंतराल बाद निरस्त कर दिया गया, जबकि अपर कलेक्टर छतरपुर को अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन का सर्वप्रथम निराकरण करना था।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा - 47 - समय वर्जित अपील/निगरानी में आदेश - समय वर्जित अपील/निगरानी में परिसीमा का प्रश्न पहले ही सकारण आदेश द्वारा विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। (रामभुवन वि. रामविशाल 2002 रा.नि. 254 से अनुसरित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा - 47 तथा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - समयवर्जित अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है। अपीलीय न्यायालय ऐसी अपील में केवल उसे समय-वर्जित होने के आधार पर खारिज करने का आदेश दे सकता है, अथवा विलम्ब क्षमा कर सकता है किन्तु उसके गुणागुण पर निर्णय करने की अधिकारिता उसे प्राप्त नहीं है। (रामलाल वि. रामचंद्र स्वामी 1967 जे.एल.जे.एस.एन. 43 से अनुसरित)

किन्तु अपर कलेक्टर छतरपुर ने नायव तहसीलदार वृत्त वछौन तहसील लौंडी के आदेश दिनांक 14-9-96 को नायव तहसीलदार लवकुशनगर का आदेश मानते हुये अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें आदेश दिनांक 14-9-96 के




विरुद्ध दिनांक 22-3-2004 को अर्थात् 07 वर्ष 06 माह से अधिक समय बाद प्रस्तुत निगरानी बिना अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन का निराकरण किये , विधि में निर्धारित प्रकिया से हटकर अंतिम आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

5/ अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दि० 30.4.14 में नायब तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश के संबंध में की गई विवेचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि उन्होंने इस्तहार का प्रकाशन समुचित न होने , ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र न होने आदि तथ्यों का आधार लेकर व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया है, जबकि आवेदक के अभिभाषक के अनुसार आवेदक के हित में मौजा मुडैरी दक्षिणी स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 678, 679, 677, 705 का कुल रकबा 0.874 हैक्टर का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 14-9-96 से किया गया, उसके उपरांत आवेदक ने वादग्रस्त भूमि को अपने खेत में मिलाने के लिये भूमि को समतल किया एवं बन्धान बनवाया तथा ट्यूब वेल लगाकर सिंचित बनाया है जिसमें आवेदक का अत्याधिक धन व श्रम खर्च हुआ है।


राजस्व पुस्तक परिपत्र चार(3) की कंडिका 24 सपठित 30 - भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 - भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियों की गई - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता । (इन्दरसिंह तथा अन्य विरुद्ध म.प्र.शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित)

व्यवस्थापिती द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने खेत में मिलाने के लिये समतलीकरण करके बन्धान बनवाने तथा ट्यूब वेल लगाकर सिंचित करने में



धन व श्रम लगा दिया, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-4-2014 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 537/2007-08 अ-19 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-4-2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलतः नायव तहसीलदार वृत्त वछौन तहसील लौड़ी द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ-19/95-96 में पारित आदेश दिनांक 14-9-96 स्थिर रहने से वादग्रस्त भूमि पर व्यवस्थापन उपरांत आवेदक के नाम शासकीय अभिलेख में की गई प्रविष्टि यथावत् रहती है।


(अशोक शिवहरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर